न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 1146/2018 प्रार्थना पत्र

1. श्रीमती रोडी बाई पत्नी श्री परथा गाडरी उम्र 56 वर्ष जाति गाडरी निवासी गाडरीयावास गुडला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री नारायणलाल पिता परता गाडरी उम्र वयस्क जाति गाडरी निवासी गाडरीयावास गुडला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. श्री लहरीलाल पिता परता गाडरी उम्र वयस्क जाति गाडरी निवासी गाडरीयावास गुडला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 212 रा.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : श्री राजकुमार पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

: : आदेश : :

दिनांक :—30.07.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एकट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गुडला तहसील नाथद्वारा के खाता सं. 2 की आराजी सं. 2728 रकबा 0—07 बीघा मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य का होकर प्रार्थीया कृषि कार्य करती आ रही है और उपयोग उपभोग कर रही है जिसमे अन्य किसी का कोई हक अधिकार आधिपत्य नही है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया ने क्रय कर उपजाउ व कृषि योग्य बनाने हेतु लाखो रूपये खर्च कर योग्य बनाया। उक्त कृषि योग्य भुमि पर विपक्षीगण के मन मे बदनियती आ गई और प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि मे प्रार्थीया के कृषि कार्य करने मे बाधा अवरोध पैदा करना चालु कर दिया और लडाई—झगडा करने पर आमदा है अत उक्त भुमि जो प्रार्थीया द्वारा उपजाउ बनाई गई है उसका विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण उक्त भूमि से बेदखल करने के लिये आये दिन लडाई झगडा करते रहते है एवं अनहोनी घटना कर देने की धमकी देते रहते है जिससे प्रार्थीया के विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष मे विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा तावादफैसला पारित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 मे वर्णित आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विधिवत विभाजन नही हो जावे तब तक विपक्षी सं. 1 एवं 2 को उपरोक्त आराजीयात मे किसी भी हिस्से को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय नही करे और नही प्रवेश कराये न ही कब्जा सुपुर्द करे और प्रार्थी को अपने उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 एवं 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071–74 राजस्व ग्राम गुडला के ख्आराजी सं. 2728 रकबा 0–07 बीघा मे प्रार्थीया एवं विपक्षीगण दर्ज हिस्सेनुसार सहखातेदार होना प्रकट होता है। प्रार्थी व अप्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात मे सहखातेदार है। संयुक्त खातेदारी की भूमि मे प्रत्येक खातेदार का उक्त भूमि के प्रत्येक हिस्से पर समान हक–अधिकार होता है एवं किसी भी एक पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति दूसरे पक्ष को होगी। ऐसे मे किसी अप्रार्थी को विक्रय हस्तान्तरण एवं उपयोग–उपभोग हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। अतः यदि किसी भी पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति दूसरे पक्षकार को होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **30.07.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निर्शा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द